न्यायालय विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर॥

क्रमांक :.............. दिनांक :..............

वाद नं० : 1. 1/82।16।

2. 1/82।17।

3. 1/82।18।

4. 1/82[illegible]139।

विषय :- राजस्थान आवासन मण्डल, द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् हाउसिंग कॉलोनी निर्माण हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड ग्राम सुखालपुरा ख. नं. 97 रकबा 10बिस्वा, ख. नं. 98 रकबा 14बिस्वा, ख. नं. 102 रकबा 1बीघा 1बिस्वा, ख. नं. 105 रकबा 4बीघा 4बिस्वा ख. नं. 109 रकबा 2बीघा 7बिस्वा, ख. नं. 118 रकबा 2बीघा 14बिस्वा कुल 11बीघा 10 बिस्वा, व 2. ख. नं. 99 रकबा 1बीघा 5बिस्वा, ख. नं. 100 रकबा 2बीघा 5बिस्वा ख. नं. 101 रकबा 3बीघा 3बिस्वा ख. नं. 112 रकबा 2बीघा 5बिस्वा ख. नं. 117 रकबा 1बीघा 18बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 16बिस्वा 3. ख. नं. 103 रकबा 1बीघा 3बिस्वा ख. नं. 104 रकबा 1बीघा 2बिस्वा, ख. नं. 110 रकबा 7बीघा 12बिस्वा, ख. नं. 111 रकबा 1बीघा, ख. नं. 113 रकबा 15बिस्वा ख. नं. 116 रकबा 2बीघा 6बिस्वा कुल रकबा 13बीघा 18 बिस्वा एव. 4. ख. नं. 221/1 रकबा 5बीघा 4बिस्वा ख. नं. 222/1 रकबा 3बीघा 3बिस्वा, ख. नं. 223 रकबा 8बीघा 10 बिस्वा, ख. नं. 226 रकबा 10 बीघा 4बिस्वा कुल रकबा 27 बीघा 1बिस्वा ॥

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

पीठासीन अधिकारी : श्री मूलचंद आर.ए.एस., विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल, जयपुर ।।

पक्षकार : 1. श्रीया पुत्र मुकन्दा, श्री भुवाना पुत्र श्रीया

2. श्री मोती, गोविन्दा पुत्र नन्दा, कल्यू लाल पुत्र मोती,

3. श्री धीसा पुत्र मुकन्दा, भुवाना, किसना पुत्र श्रीया जाति जाट

4. श्री मोहरू, नानगा पि० पोखर, गोवर्धन हाजी, भूलिया, रामेश्वर पि० नारायण

ग्राम सुखालपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, जरिये श्री कल्याण सहाय केदावत, एडवोकेट

6. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर जरिये श्री दीनदयाल शर्मा, एडवोकेट ।

::अवार्ड::

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात हाउसिंग कॉलोनी बनाने हेतु निम्न ग्रामों के सामने अंकित भूमि को अवाप्त करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 53 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जावेगा की धारा 4 के अन्तर्गत दिये जिसकी अधिसूचना क्रमांक एफ-7(72) न.वि.आ./11/81 दिनांक 12.1.1982 को राजस्थान राजपत्र के भाग"ख" में दिनांक 13.1.1982 को प्रकाशित की गई । ग्रामवार भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	बीघा	बिस्वा
1.	सुखालपुरा	807	06
2. देव	देवरी	679	04
3.	झालाना चौड	936	03
4.	बलरामपुरा उर्फ खेजडावाला	38	11
5.	मानपुर देहरी उर्फ गोल्यावास	27	07
6.	नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्धावास	82	04
	योग :-	2570	15

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

2- तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि कोअवाप्ति की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लेखित नोटिस में प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-7(72) न.वि.आ./11/81 दिनांक 9 फरवरी 1982 जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 9.2.82 भाग-1ख में प्रकाशित हुई के द्वारा अधिकृत किया ।

3- धारा 17(5) की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् अवाप्ति के अन्तर्गत भूमि का सर्वे तहसीलदार सांगानेर से कराया गया । तत्पश्चात् समस्त खातेदारों/हितधारियों के नाम भूमि का कब्जा स्थान्तरण हेतु तथा अपने हक व हित प्रस्तुत करने हेतु पब्लिक नोटिस नियमानुसार दिनांक 5.5.82 को प्रकाशित कराया गया । पब्लिक नोटिस प्रकाशित होने के 15 दिवस पश्चात् निम्न लिखित तिथियों में भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया :-

........3

दिनांक 22.5.82	ग्राम सुखालपुरा, नन्दकिशोरपुरा, उर्फ मान्धावास एवं देवरी ।
दिनांक 24.5.82	झालाना चौड़, बलरामपुरा उर्फ खेजडा वाला, मानुपुरदेहरी उर्फ गोल्यावास ।

भूमि का कब्जा लिया जाकर मौके पर ही राजस्थान आवासन मण्डल को प्रतिनिधी को सम्भलाया गया ।

4- उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् विभिन्न खातेदारी/हितधारियों को अधिनियम की धारा 9(3) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये समस्त खसरा नम्बर की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचना दैनिक पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19.6.1982 में प्रकाशित की गई ।

5- अधिनियम की धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस प्रकाशित करने से पूर्व सरकार के पत्र क्रमांक एफ-9(72)न.वि.आ./11/81 दिनांक 29.4.1982 द्वारा ग्राम सुखालपुरा, झालाना चौड एवं गोल्यावास की कुछ खसरा नम्बरों की भूमि की अवाप्ति कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई, अतः अधिनियम की धारा 9(1) के नोटिस में स्थगन आदेश से सम्बन्धित भूमि को सम्मिलिति नहीं किया गया एवं कब्जा भी नहीं लिया गया । इस प्रकारस्थगन आदेश से संबंधित भूमि को छोडते हुए तथा राजस्व अधिकार में अंकित रकबें से अधिक रकबे को छोडते हुए निम्न ग्रामों के आगे अंकित भूमि का कब्जा दिनांक 22.5.82 एवं 24.5.82 को लिया जाकर राजस्थान आवासन मण्डल को सौंपा गया :-

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	नाम ग्राम	बीघा	बिस्वा
1.	बलरामपुरा उर्फ खेजडावाला तहसील सांगानेर	38	11
2.	मानुपुर देहरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर	24	06
3.	नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्धास तहसील सांगानेर	82	04
4.	झालानाचौड तहसील सांगानेर	852	10
5.	देवरी तहसील सांगानेर	667	15
6.	सुखालपुरा तहसील सांगानेर	726	19
	योग	2392	11

6- खसरा नं. 97 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 98 रकबा 14 बिस्वा ख.नं. 102 रकबा 1बीघा 1बिस्वा, ख.नं. 105 रकबा 4बीघा 4बिस्वा, ख.नं. 109 रकबा 2बीघा 7 बिस्वा, ख.नं. 118 रकबा 2बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 99 रकबा 1बीघा 5बिस्वा, ख.नं. 100 रकबा 2बीघा 5बिस्वा, ख.नं. 101 रकबा 3बीघा 3बिस्वा, ख.नं. 112 रकबा 2बीघा 5बिस्वा ख.नं. 117 रकबा 1बीघा 18 बिस्वा ख.नं. 103 रकबा 1बीघा 3बिस्वा, ख.नं. 104 रकबा 1बीघा 2बिस्वा ख.नं. 110 रकबा 7बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 111 रकबा 1बीघा, ख.नं. 113 रकबा 15बिस्वा ख.नं. 116 रकबा 2बीघा 6बिस्वा, ख.नं. 221/1 रकबा 5बीघा 4 बिस्वा, ख.नं. 222/1 रकबा 3बीघा 3बिस्वा, ख.नं. 223 रकबा 8बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 226 रकबा 10बीघा 4 बिस्वा जिसका अवाप्त किया जा रहा है यह ग्राम सुखालपुरा तहसील सांगानेर की 726बीघा 19 बिस्वा भूमि में सम्मिलित है जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम हितधारी/दावेदारान	ख.नं.	रकबा	भूमि की किस्म
1.	श्रीया पुत्र मुकन्दा, भुवाना किसना पुत्र श्रीया	97	0-10	चाही II-0-06, जाव 0-04
		98	0-14	बारानी III
		102	1-01	चाही II-0-14, जाव 0-07
		105	4-04	चाहीII-2-08, जाव-1-16
		109	2-07	चाहीII-1-07, जाव-1-00
		118	2-14	चाहीII-2-10, जाव 0-04
2.	श्री मोती गोविन्दा पिता नन्दा, श्री ल्लयू लाल पुत्र मोती	99	1-05	बारानी II
		100	2-05	चाहीII-1-06, जाव-0-19
		101	3-03	चाह II-1-16, जाव-1-07
		112	2-05	चाह I-2-02, जाव-0-03
		117	1-18	चाही I-1-15, जाव-0-03
3.	श्री सोहरू, नान्गा पिता पोखर, अलिखम हाजी, रामेश्वर पिता नाराण हि $\frac{1}{3}$	103	1-03	चाही III, जाव 1-3
		104	1-02	चाही II
		110	7-12	चाही II-3-16, जाव-3-04
		111	1-00	चाही I, (1111), जाव(1)
		113	0-15	चाही जाव ..
		116	2-06	चाही 2-04, जाव-1-02
4.	श्री धीरा, श्रीया पुत्र मुकन्दा भुवाना, किसना पिता श्रीया	221/1	5-04	बंजड II
		222/1	3-03	बारानी II
		223	8-10	बंजड II
		226	10-04	बंजड III
		योग	63-05	

(विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर)

7- उपरोक्त खसरा नम्बरों के दावेदारान ने अपना-अपना हितबद्ध बतलाते हुए अधिनियम की धारा 9(3) के सन्दर्भ में जो क्लेम पेश किये है उनका अलग-अलग विवरण निम्न प्रकार है :-

1. श्रीया पुत्र मुकन्दा, श्री भुवाना किसना पुत्र श्रीया , जाति जाट

(क) पत्रावलि के अवलोकन से पाया गया कि श्रीया पुत्र मुकन्दा की मृत्यु हो चुकी है । श्री श्रीया के वारिसान श्री भुवाना व किसना है । इस प्रत्रावली से संबंधित खसरा नं. जो श्रीया पुत्र मुकन्दा के नाम राजस्व रिकार्ड में थे उनका नामान्तकरण दिनांक 17.7.76 को श्री श्रीया के वारिसान भुवाना, किसना के नाम भरा जा चुका है । अत: अब श्री श्रीया के स्थान पर इन दोनों को हितबद्ध पक्षकार माना जाताहै ।श्री भुवाना, किसना पुत्र श्रीया द्वारा जो क्लेम पेश किया गया है वो निम्न प्रकार है :-

(क) भूमिकी कीमत 60000/-रू0 प्रति बीघा की दर से	6,90,000.00 रू0
(ख) ए.सी.पाईप .होदियों की कीमत	7,000.00 रू0
(ग) डोला व कूंचों की कीमत	12,500.00 रू0
(घ) भुवाना के कच्चे घरों की कीमत	9,000.00 रू0
(ड) फसलों की क्षतिपूर्ति राशि	35,000.00 रू0
(च) शिफ्टिंग चार्जेज	10,000.00 रू0
योग :-	7,63,500.00 रू0

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर

2. श्री मोती ,गोविन्दा पुत्र नन्दा के पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि मोती की मृत्यु हो चुकी है राजस्व रिकार्ड के आधार पर मोती के वारिस श्रीलल्लू लाल के नाम यह भूमि $\frac{1}{2}$ हिस्सा दिनांक 29.2.74 दर्ज है अत: श्री गोविन्दा पिता नन्दा व श्रीलल्लू पुत्र मोती के द्वारा जो क्लेम पेश किया गया है वह निम्न प्रकार है:-

(क) भूमि की कीमत 60000/- प्रति बीघा की दर से	6,48,000.00रू0
(ख) डोला व कूंचों की कीमत	19,700.00रू0
(ग) ए.सी.पाईप की कीमत	6,209.00रू0
(घ) पेडों की कीमत	6,000.00रू0
(ड) गोविन्दा के मकानों की कीमत	55,000.00रू0
(च) लल्लू लाल के मकानों की कीमत	10,000.00रू0
(छ) क्षतिपूर्ति	12,500.00रू0
	7,56,909.00रू0

3. श्री मोहरू, नान्गा पि0 पोखर, भूरिया, गोवर्धन, हरजी, रामेश्वर पि0 नारायण द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

(क) भूमि की कीमत		8,34,000.00
(ख) सीमेन्ट के पाईप आदि की कीमत		
(I) मोहरू द्वारा प्रस्तुत	1,110.00	4,677.00
(II) नान्गा द्वारा प्रस्तुत	2,382.00	
(III) गोवर्धन, भूरा आदि द्वारा प्रस्तुत	1,185.00	
(ग) मिट्टी के डोले की कीमत		
(I) म्होरू द्वारा प्रस्तुत	6,078.00	26,584.00
(II) नान्गा द्वारा प्रस्तुत	8,576.00	
(III) गोवर्धन भूरा आदि द्वारा प्रस्तुत	11,930.00	
(घ) पैडों की कीमत		
(I) म्होरू द्वारा प्रस्तुत	1,000.00	4,000.00
(II) नान्गा द्वारा प्रस्तुत	2,000.00	
(III) गोवर्धन भूरा आदि द्वारा प्रस्तुत.	1,000.00	
(ड.) क्षति पूर्ति राशि		40,500.00
(च) अन्य नियमानुसार		
		9,09,761.00

निदेशक अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 1/82(39) श्री धीसा पुत्र मुकंदा व भुवाना, किसना पुत्र श्रीया से सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि श्री धीसा पुत्र मुकंदा ने इन खसरा नम्बरों से सम्बन्धित रकबे का बेचान कर दिया। जिसका नामान्तरकरण दिनांक 17.7.76 को भरा गया तथा जमाबंदी सम्वत 2025 से 2028 में दर्ज पाया कराया गया। अतः नियमानुसार श्री धीसा पुत्र मुकंदा के स्थान पर अब भुवाना किसना पुत्र श्रीया को हितबध्द पक्षकार मानकर मुआवजे का निर्धारण किया जा रहा है।

4. श्री भुवाना, किसना पु0 श्रीया द्वारा प्रस्तुत क्लेम निम्न प्रकार है:

(क) भूमि की कीमत 60000/- प्रति बीघा की दर से	16,23,000.00
(ख) कुए व बोरिंग की कीमत	78,000.00
(ग) पाईप व होदी आदि की कीमत	4,79,000.00
(घ) डोले आदि की कीमत	24,128.00
(ड.) पैडों की कीमत	7,600.00
(च) पुख्ता मकान आदि की कीमत	2,64,500.00
(छ) क्षति पूर्ति राशि	40,000.00
	25,16,228.00

दावेदारान की ओर से अपने क्लेम के समर्थन में जो दस्तावेजात प्रस्तुत किए गये है, उनका अलग अलग विवरण इस प्रकार है:---

1. श्रीया पुत्र मुकंदा ¦भुवाना, किसना पुत्र श्रीया¦ वाद संख्या 1/82¦16¦

¦क¦ विक्रय पत्र दिनांक 1.1.1973

¦ख¦ विक्रय पत्र दिनांक 18.7.72

¦ग¦ विक्रय पत्र दिनांक 15.11.1973

¦ध¦ जमाबंदी सम्वत 2025 से 2028

¦ड.¦ खसरा गिरदावरी सम्वत 2034 से 2038

¦च¦ श्री भुवाना, किसना के नाम नामान्तकरण

श्री मोती, गोविंदा पुत्र नंदा¦श्री लल्लू लाल पुत्र मोती¦वाद संख्या 1/82¦17¦

¦क¦ विक्रय पत्र दिनांक 1.1.73

¦ख¦ विक्रय पत्र दिनांक 18.7.72

¦ग¦ विक्रय पत्र दिनांक 15.11.73

¦ध¦ जमाबंदी सम्वत 2025 से 2028

¦ड.¦ खसरा गिरदावरी सं0 2034 से 2038

¦च¦ श्री लल्लू लाल पुत्र मोती के नाम नामान्तकरण

श्रीम्होरु, नानगा पुत्र पोखर, भूरिया, गोवर्धन, हरजी, रामेश्वर पुत्रान ¦नारायण¦ वाद संख्या 1/82¦18¦

¦क¦ विक्रय पत्र दिनांक 1.1.73

¦ख¦ विक्रय पत्र दिनांक 18.7.71

¦ग¦ विक्रय पत्र दिनांक 15.11.73

¦ध¦ जमबांदी सम्वत 2025 से 2028

¦ड.¦ खसरा गिरदावरी सम्वत 2024 से 2038

आवासन मण्डल द्वारा उक्त सभी वादों में अपने जवाब के साथ जो अलग अलग तखमीने व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये है वे निम्न लिखित है:-

¦क¦ विक्रय पत्र दिनांक 15.4.1981

¦ख¦ विक्रय पत्र दिनांक 4.1.1982

¦ग¦ तखमीना:---

1. वाद संख्या 1/82¦16¦

अ. होदी आदि की कीमत	340.00
ब. डोले की कीमत	3256.80
स. पेडों की कीमत	3600.00

अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर

2. वाद संख्या 1/82 (17)

अ. मिट्टी का डोला	720.65
ब. कुआ मय बोरिंग	20,000.00
स. घुमटी	684.00
द. वाटर टैंक	167.50
य. होदोज	425.00
र. मिट्टी के घर	3,822.00
ल. आवासीय मकान	54,452.50
व. ए.सी. पाईप्स	2,154.00
	90,433.65

3. वाद संख्या 1/82 (10).

अ. मिट्टी का डोला	3,143.20
ब. वाटर टैंक (स्माल साईज)	345.00
स. ए.सी. पाईप्स	1,148.00
द. पेड़	2,000.00
	6,636.20

विशेषाधिकारी
(नगर)ीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

4. वाद संख्या 1/82 (39)

अ. मिट्टी का डोला	1,185.65
ब. कुआ (आर.सी.सी. बोरिंग)	29,000.00
स. आवासीय मकान किशना	63,508.87
द. आवासीय मकान भुवाना	44,961.20
य. आवासीय मकान भुवाना (अधुरा हिस्सा)	2,863.40
र. पाईप सीमेन्ट के	6,728.40
ल. मिट्टी के छप्पर	1,209.60
व. होदी छोटी	1,190.00
स. पेड़	1,000.00
योग :	1,51,647.12

8. मैंने उक्त सभी पत्रावलियों से सम्बन्धित मौका का निरीक्षण किया, पत्रावलियों में प्रस्तुत पक्षकारान द्वारा दस्तावेजात का अध्ययन किया। पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। सभी खातेदारों ने अपने क्लेम में 60,000/- रूपये प्रति बीघा बाजार दर बतलाते हुये मुआवजे की मांग की है तथा इसके समर्थन में सभी ने अलब अलग विक्रय पत्र प्रस्तुत किये है। लेकिन इन विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि की दर 60,000/- रूपया प्रति बीघा सिद्ध नहीं होती तथा इस दर को मैं बहुत ज्यादा मानता हूं। आवमसन मण्डल की और से भूमि की दर 10,000/- रूपये प्रति बीघा देना अपने

क्रमशः --- 9/-

जवाब में प्रस्तावित किया है । इसके समर्थन में आवासनमण्डल ने कुछ विक्रय पत्र पेश किये है किन्तु इन विक्रय पत्रों से भी आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तावित दर सिद्द नहीं होती है । तथा मैं भूमि की बढती हुई कीमत व भूमि की पोटेन्सियलिटी को ध्यान में रखते हुए आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तावित दर को कम मानता हूँ । अतः इन सभी मामलों में सबसे महत्वपूर्ण मुददा अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उद्धोषित तिथि को भूमि की मार्केट वैल्यू निर्धारित किया जाना है । राज्य सरकार द्वारा इस भूमि को अवाप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 21.1.1982 को जारी की गई है। इसके पश्चात इसी क्षेत्र की अवाप्त कीजाने वाली भूमि का मूल्य निर्धारण भी किया जा चुका है । जिसके अनुसार चाही भू मि कीदर 20,000/- प्रति बीघा, बारानी भूमि की दर 19,000/- प्रति बीघा तथा सडक के नजदीक की भूमि को 1,000/- प्रति बीघा अतिरिक्त देना तय किया गयाहै । अतः इन दरों को मध्य नजर रखा जा सकता है ।

प्रस्तुत प्रकरणों में बहस के दौरान दावेदारान के विद्वान अधिवक्ता ने सिंचाई के साधन कुए का जिक्र करते हुए तथा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों का उल्लेख करते हुए बतलाया कि सभी गिरदावरियों में दो फसले होने का इन्द्राज है । अतः मुआवजा चाही जमीन की दर से दिया जावे ।जिन खसरा नम्बरों में कुए से सिंचाई की जाती है उनका निर्धारण भूमि की सिंचाई मान कर मुआवजे का निर्धारण किया जाना न्याय संगत समझता हूँ ।

विद्वान अधिवक्ता श्री केदावत ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत प्रकरणों में अर्जेंसी मानते हुए अधिनियम की धारा 17(4) में भूमि अवाप्त की गई है, अतः अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार सोलेशियम 10 प्रतिशत मुआवजे की राशि पर दिलाया जावे ।। इस तर्क के संबंध में अधिनियम की धारा 23(2) का अध्ययन किया । इस जमीन पर आवासीय कच्चे, पक्के मकान बने हुए है अतः 10 प्रतिशत सोलेशियम दिया जाना न्याय संगत है । श्री केदावत ने अधिनियम की धारा 34 के अनुसार 4 प्रतिशत ब्याज दिया जाना आवश्यक बतलाया है । मैने अधिनियम की धारा 34 का अवलोकन किया तथा पत्रावली के अवलोकन से पाया कि सभी खसरा नम्बरों का कब्जा आवासन मण्डल को दिनांक 22.5.82 को सौपा जा चुका है, अतः मैं इस तर्क से भी सहमत हूँ ।

विद्वान अधिवक्ता दावेदारान ने निवेदन किया कि उक्त खसरा नम्बरों में बने कच्चे मकानात/पक्के मकानात, कुआ, वृक्ष आदि का मुआवजा प्रस्तुत क्लेमों के आधार पर दिलाया जावे । दावेदारान नद्वारा अपने अपने क्लेमों में इससे सम्बन्धित मुआवजे का क्लेम किया है, उसका कोई पुष्ट आधार पेश नहीं किया गया है । अतः प्रस्तुत क्लेमों के आधार पर मुआवजा नहीं दिया

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

......

जा सकता । आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत तखमीने स्वीकार किये जाते हैं क्योंकि उनके तखमीने पी.डब्ल्यू.डी., बी.एस.=आर. 1980 के आधार पर हैं।

19) उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रत्येक दावेदार के हक में मुआवजे का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :

(1) श्री भुवाना, किशना, पु. श्रीया जाति जाट वाद संख्या 1/82(16)

क.	भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 10 विस्वा खसरा नम्बर 98 रकबा 14 विस्वा खसरा नम्बर 102 रकबा 1 बीघा 1 वि. खसरा नम्बर 105 रकबा 4 बीघा 4 वि. खसरा नम्बर 109 रकबा 2 बीघा 7 वि. खसरा नम्बर 118 रकबा 2 बीघा 14 वि. कुल रकबा 11 बीघा 10 विस्वा 20,000/- रुपया प्रति बीघा की दर से	2,30,000.00
ख.	स्ट्रैक्चर्स आदि का मुआवजा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत तखमीने के आधार पर.	7,196.80
	योग:	2,37,196.80
ग.	अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10 प्रतिशत की दर से	23,719.60
	योग:	2,60,916.40
घ.	मुआवजे की राशि पर 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 22.5.82 से 21.10.83 तक	14,785.26
	कुल योग:	2,75,701.74

(अक्षरे दो लाख पिचेत्र हजार सात सौ एक रुपया 74 पैसे मात्र)

(2) गोविंदा पुत्र नंदा व श्री लल्लू लाल पुत्र मोती वाद संख्या 1/82(17)

क.	भूमि की कीमत खसरा नम्बर 99 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा ख.नं. 100 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा ख.नं. 101 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा ख.नं. 112 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा ख.नं. 117 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा कुल रकबा 10 बीघा 16 विस्वा, 20000/- प्रति बीघा की दर से	2,16,000.00

उपनिवेशाधिकारी
नगर विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

पिछला योग: 2,16,000.00

ख. स्ट्रैक्चर्स आदि का मुआवजा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत तखमीने के आधार पर. 90,433.65

योग 3,06,433.65

ग. अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10 प्रतिशत की दर से 30,643.37

योग 3,37,077.02

घ. मुआवजे की राशि पर 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 22.5.82 से 21.10.83 तक 19,101.00

कुल योग 3,56,178.00

।अंक्षरे तीन लाख छप्पन हजार एक सौ अठेहतर रुपये 00 पैसे मात्र।

।3। म्होरु, नानगा पुत्र पोखर व भूरिया, गोवर्धन, हरजि, रामेश्वर पुत्र नारायण वाद संख्या k/82।10।

क. भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा ख. नं. 104 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा ख. नं. 110 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा ख. नं. 111 रकबा 1 बीघा ख. नं. 113 रकबा 15 बिस्वा ख. नं. 116 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा 20,000/- प्रति बीघा की दर से 2,78,000.00

ख. स्ट्रैक्चर्स आदि का मुआवजा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत तखमीने के आधार पर: 6,636.20

योग 2,84,636.20

ग. अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10 प्रतिशत की दर से 28,463.62

योग 3,13,099.82

घ. मुआवजे की राशि पर 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 22.5.82 से 21.10.83 तक 17,742.32

कुल योग: 3,30,842.14

।अंक्षरे तीन लाख तीस हजार आठ सौ बयालीस रुपये 14 पैसे मात्र।

विशेषाधिकारी विकास एवं आवासन मण्डल राजस्थान, जयपुर

4. श्री भुवाना, किशना पुत्रान श्रीया वाद संख्या 1/82139 :-

क.	भूमि खसरा नम्बर 221/1 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, ख.न. 221/1 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 223 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा ख.न. 226 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 27 बीघा 1 बिस्वा, 20,000/- रूपये प्रति बीघा की दर से ।	5,41,000.00
ख.	स्ट्रेक्चर्स आदि का मुआवजा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत संशोधित तखमीने के आधार पर ।	1,51,647.12
	योग	6,92,647.12
ग.	अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10 प्रतिशत की दर से	69,264.71
	योग	7,61,911.83
घ.	मुआवजे की राशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 22-5-82 से 21-10-83 तक ।	43,174.96
	कुल योग	7,95,086.79

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर

अक्षरे सात लाख पिचानवे हजार छियांसी रूपये उन्नियासी पैसे मात्र

इस प्रकार आज दिनांक 21.10.1983 को कुल रूपये 17,57,808.72 अक्षरे रूपये सत्रह लाख सत्तावन हजार आठ सौ आठ व 72 पैसे मात्र का अवार्ड घोषित किया गया । अधिनियम की धारा 12 11 के अनुसार अवार्ड शामिल सभी पत्रावलियों में हो एवं अधिनियम की धारा 1222 के अनुसार सम्बन्धित दावेदारान को सूचित किया जावे तथा प्रतिलिपि शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर, तहसीलदार तहसील साँगानेर को प्रेषित हो ।

विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:

क्रमांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:---

1. श्रीमान शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. श्री भुवाना, किसना पुत्र भींया, गोविंदा पुत्र नंदा व लल्लू लाल पुत्र मोती
   श्री भुवाना, किसना पुत्र भींया, म्होर, नाम्या पुत्र पोखर व भूरिया, गोवर्धन
   हरजी, राधेश्वर पुत्रान नारायण

22/10/83

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन वि.
राजस्थान, जयपुर